लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
015/2022 (GCMS 2022/22)	14.03.2022	27.04.2022

अनवान

गजेन्द्र कुमार गौड़ पिता स्व. देवी किशन गौड़ निवासी आकोला छीपों का, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 03.02.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./15/2022(सू.अ.)(26.04.2022) दिनांक 13.04.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 26.04.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./15/2022(सू.अ.)(06.04.2022)/49 दिनांक 14.03.2022 से नियत दिनांक 06.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2022 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 31.03.2022) अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई हैं अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। सहायक लोक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर ने अपने पत्र क्रमांक/आरटीआई/2022/490 दिनांक 25.04.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

अपीलार्थी श्री गजेन्द्र कुमार पिता देवी किशन गौड़ निवासी आकोला द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र 03.02.2022 के क्रम में प्रार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/आरटीआई/2022/313 दिनांक 09.02.2022 से प्रेषित कर दी गई हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/आरटीआई/2022/490 दिनांक 25.04.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.02.2022 से वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर द्वारा अपने पत्रांक/आरटीआई/2022/313 दिनांक 09.02.2022 से उपलब्ध करा दी जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**27.04.2022**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)